



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-19082025-265522
CG-KA-E-19082025-265522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3679]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2025/श्रावण 27, 1947

No. 3679]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2025/SHRAVANA 27, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 18 अगस्त, 2025

का.आ. 3783(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20 एफ के खंड (6) और धारा 2 के खंड 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' और नीचे दी गई तालिका के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है, जो भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेलवे परियोजनाओं के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

सारणी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	तोरणगललू-रंजीतपुरम केबीच दोहरी लमडि कम क्षिममाण (23 ककमी)	बल्लारी	सहायक आयुक्त, बल्लारी	क्षेत्रीय आयुक्त, कलबुर्गी

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/नि/बें छा /2025-26/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 18th August, 2025

S.O. 3783(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned at column (4) in the table below as ‘Competent Authority’ and the officers mentioned at column (5) in the table below as ‘Arbitrator’ to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned at column (2) relating to districts mentioned at column (3) in the table below for Land Acquisition required for the public purpose.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Construction of Double Line between Toranagallu - Ranjithpura (23 km)	Ballari	Assistant Commissioner, Ballari	Regional Commissioner, Kalburgi

[F. No. W. 271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction